न्यूज़ टुडे

सरकार, आत्मनिर्भर भारत अभियान को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए एक व्यापक इस्पात नीति के निर्माण की योजना बना रही है

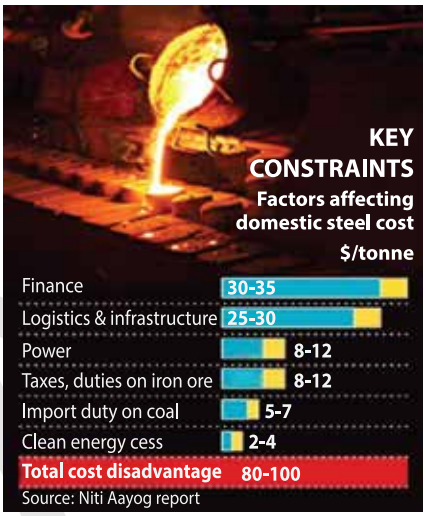

- इस कदम का उद्देश्य **आयात पर निर्भरता में कमी** करना तथा आत्म–निर्भरता की दिशा में इस्पात क्षेत्र का और अधिक विकास करना है।
  - **भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक और उपभोक्ता देश है** तथा देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में इस क्षेत्र की भागीदारी 2.3% है।
- **विभिन्न सुझावों में शामिल हैं:**
  - सरकार, इस्पात के आयात पर **सीमा समायोजन कर (Border Adjustment Tax: BAT)** आरोपित करने का परीक्षण कर रही है।
    - **BAT,** सीमा शुल्क के अतिरिक्त आयातित वस्तुओं पर अधिरोपित एक शुल्क है। पोर्ट ऑफ़ एंट्री (वस्तुओं के बंदरगाह में प्रवेश के दौरान) पर यह शुल्क लगाया जाता है। यह घरेलू उत्पादकों को प्रतिस्पर्धा के लिए एक समान अवसर प्रदान करता है।
    - विश्व व्यापार संगठन (WTO) के नियम निम्नलिखित शर्तों के अधीन **सीमा पर कुछ प्रकार के आंतरिक करों के समायोजन की अनुमति प्रदान करते हैं:**
      - कर को आयातित वस्तुओं और उसी प्रकार के घरेलू उत्पादों पर समान रूप से आरोपित किया जाना चाहिए।
      - कर एक उत्पाद पर आरोपित किया जाना चाहिए तथा यह प्रत्यक्ष कर नहीं होना चाहिए।
      - कर को निर्यातों पर सब्सिडी के रूप में लागू नहीं होना चाहिए।
  - बीमा कंपनियों, पेंशन निधियों आदि से धन जुटाने जैसे कई लाभ और रियायतें प्रदान करने हेतु **इस क्षेत्र को बुनियादी क्षेत्र (Infrastructure status)** का दर्जा प्रदान करना।
  - निम्नस्तरीय इस्पात के आयात को रोकने के लिए **भारतीय मानक ब्यूरो (Bureau of Indian Standards)** द्वारा सभी इस्पात उत्पादों के लिए एक निर्धारित मानक स्थापित करना।
  - **भूमि, वन, पर्यावरण और अवसंरचना हेतु स्वीकृति को तीव्रतम करने के लिए** अधिकार प्राप्त समितियों का गठन करना।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 'ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद' (National Council for Transgender Persons: NCTP) का गठन किया है

- केंद्र सरकार ने **उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 {Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019}** के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करके NCTP की स्थापना की है।
  - इस अधिनियम में **ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के विरुद्ध भेदभाव का निषेध,** स्वयं–अनुभव की गई लिंग पहचान का अधिकार (right to self-perceived gender identity), सरकार द्वारा कल्याणकारी उपाय, अपराध और उनके शोषण के ख़िलाफ़ दंडात्मक प्रावधान आदि शामिल हैं।
- **संरचना:**
  - **अध्यक्ष**– केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (पदेन);
  - **उपाध्यक्ष**– सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री;
  - **निम्नलिखित मंत्रालयों से सदस्य**– स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, गृह मंत्रालय, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय तथा विधि और न्याय मंत्रालय।
  - **निम्नलिखित विभागों या आयोग से सदस्य**– पेंशन विभाग, नीति आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग।
  - चक्रीय आधार पर (rotational basis) **पांच राज्यों या संघ शासित प्रदेशों से प्रतिनिधि।**
  - **ट्रांसजेंडर समुदाय** से पांच सदस्य और **गैर–सरकारी संगठनों से पांच विशेषज्ञ।**
- **NCTP के मुख्य कार्य:**
  - ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के संबंध में नीतियों, कार्यक्रमों, कानून और योजनाओं के निर्माण के संदर्भ में **केंद्र सरकार को परामर्श प्रदान करना;**
  - ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की समानता और पूर्ण भागीदारी प्राप्त करने के लिए अभिकल्पित **नीतियों तथा कार्यक्रमों के प्रभाव की निगरानी एवं उसका मूल्यांकन करना;**
  - ट्रांसजेंडर व्यक्तियों से संबंधित मामलों से जुड़े सभी सरकारी विभागों और अन्य सरकारी तथा गैर–सरकारी संगठनों की गतिविधियों की समीक्षा एवं समन्वय करना;
  - ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की **शिकायतों का निवारण करना;** तथा
  - **केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित इस प्रकार के अन्य कृत्यों** का निष्पादन करना।

यूरोपीय देशों (यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और जर्मनी) ने परमाणु समझौते को लेकर ईरान के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र के सभी प्रतिबंधों को पुनर्बहाल करने के अमेरिकी प्रस्ताव का विरोध किया है

- संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरान पर एकपक्षीय प्रतिबंध आरोपित करने के प्रयास में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में **"स्नैपबैक (snapback)"** नामक एक विवादास्पद प्रक्रिया को प्रारंभ करने की योजना निर्मित की है।
  - **संयुक्त व्यापक कार्य योजना (Joint Comprehensive Plan of Action: JCPOA)** किसी भी पक्ष को उस प्रक्रिया को प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान करती है, जो **ईरान द्वारा समझौते के अनुपालन में विफल रहने पर उसके विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों (U.N. sanctions) का पुनःआरोपण** करती है।
  - इन प्रतिबंधों में शामिल हैं: ईरान को विशिष्ट हथियारों की बिक्री या उससे खरीद पर निषेध, परमाणु संवर्धन (enrichment) और पुनर्संसाधन (reprocessing) से संबद्ध ईरान की गतिविधियों तथा उनके लिए किसी भी प्रकार के बाह्य समर्थन पर प्रतिषेध, कुछ ईरानी अधिकारियों एवं संस्थाओं पर प्रतिबंध इत्यादि।
- संयुक्त राज्य अमेरिका के इस कदम का रूस और चीन के साथ–साथ उसके यूरोपीय सहयोगियों, यथा– यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस एवं जर्मनी ने भी विरोध किया है।
  - यूरोपीय सहयोगियों का मानना है कि **ईरान को नियंत्रण में रखने का सबसे सुरक्षित तरीका JCPOA है।**

JCPOA के बारे में:

- **इसका उद्देश्य** अंतर्राष्ट्रीय निगरानी के माध्यम से **ईरान** को असैन्य परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के संचालन की अनुमति प्रदान करते हुए उसे **परमाणु हथियार विकसित करने से रोकना है।**
- इस समझौते पर **ईरान और P5 +1** (चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और जर्मनी) देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक प्रस्ताव के माध्यम से इसे समर्थन प्रदान किया गया था।
- उल्लेखनीय है कि वर्ष 2018 में, **संयुक्त राज्य अमेरिका ने एकपक्षीय रूप से स्वयं को JCPOA से पृथक कर लिया था।**

भारतीय मानक ब्यूरो (Bureau of Indian Standards: BIS) द्वारा पेयजल आपूर्ति के लिए मानकों का प्रारूप तैयार किया गया है

- यह **अनुपचारित जल स्रोतों (raw water sources) से लेकर घरेलू नल तक उपचारित जल की आपूर्ति की प्रक्रिया को रेखांकित करता है।** इसका उद्देश्य जल की गुणवत्ता बनाए रखने और इसे कार्यान्वित करने वाले राज्यों के लिए समान प्रक्रिया विकसित करने हेतु एक "मानदंड" के रूप में कार्य करना है।
  - इसे केंद्र सरकार के **जल जीवन मिशन** को ध्यान में रखते हुए विकसित किया गया है।
- **इस ड्राफ्ट (प्रारूप) की मुख्य विशेषताएँ:**
  - **यह जल आपूर्तिकर्ताओं या जल आपूर्ति करने वाली संस्थाओं (वाटर यूटिलिटी) के लिए** उनकी स्थापना, संचालन, रखरखाव और पाइप द्वारा पेयजल आपूर्ति सेवा में सुधार के लिए आवश्यक प्रमुख बिंदुओं को रेखांकित करता है।
    - **जल स्रोत या तो भौम जल (ग्राउंड वाटर) या सतही जल स्रोत** (जैसे– नदी, झरना या जलाशय) हो सकते हैं।
  - **जल की गुणवत्ता** भारतीय मानक (Indian Standard: IS) 10500 के अनुरूप होनी चाहिए।
    - IS 10500, पेयजल में विभिन्न पदार्थों (जैसे– भारी धातु) और अन्य मापदंडों (जैसे– pH मान, गंध आदि) की स्वीकार्य मात्रात्मक सीमा की रूपरेखा तैयार करता है।
  - जहां भी संभव हो, वहां **जिला मीटरिंग क्षेत्र (District metering area: DMA)** का सृजन किया जाना चाहिए।
    - DMA जल आपूर्ति नेटवर्क में रिसाव को नियंत्रित करने से संबंधित एक अवधारणा है, जो अनिवार्य रूप से कई क्षेत्रों में विभाजित होता है, जिन्हें DMAs कहा जाता है। इसके अंतर्गत रिसाव का पता लगाने के लिए आपूर्ति नेटवर्क में फ्लो मीटर (flow meters) लगाए जाते हैं।
  - त्रैमासिक आधार पर जल **लेखा परीक्षण (Water audit)** किया जाना चाहिए।

सरकार ने मुक्त व्यापार समझौतों (Free Trade Agreements: FTAs) के अंतर्गत आयात के लिए उद्गम के नियमों (Rules of Origin: ROO) के प्रवर्तन हेतु मानदंड विकसित किए हैं

- इसका उद्देश्य FTAs के साझेदार देशों के माध्यम से किसी तीसरे देश के **अल्प–गुणवत्ता वाले उत्पादों के भारत में प्रवेश** (अर्थात् FTAs के साझेदार देशों द्वारा भारत को निर्यात) **और ऐसी वस्तुओं की डंपिंग (विदेशी बाजार में कम मूल्य पर विक्रय) पर नियंत्रण स्थापित करना** है।
- **नवीन व्यवस्था (New framework):**
  - ये मानदंड भारत में **वस्तुओं के आयात पर लागू** होंगे, जहां आयातकों द्वारा FTAs के अनुसार शुल्क की अधिमान्य दर (preferential rate) का दावा किया जाता है।
  - ये मानदंड FTA के साझेदार देश में **न्यूनतम प्रोसेसिंग या मूल्य संवर्धन** के प्रावधान को निर्दिष्ट करते हैं, ताकि अंतिम विनिर्मित उत्पाद को **उस देश में उद्भवित वस्तु** (originating goods) कहा जा सके।
  - प्रविष्टि–पत्र (bill of entry) प्रस्तुत करते समय आयातक को पत्र में यह घोषणा करनी होगी कि आयातित उत्पाद, **FTA के तहत शुल्क की अधिमान्य दर** के लिए **उद्भवित वस्तु के सभी मानदंडों** को पूर्ण करते हैं। इसके अतिरिक्त, उसे उद्गम प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- **ROO के बारे में:**
  - ये किसी उत्पाद के एक **राष्ट्र से संबद्ध होने (दूसरे शब्दों में, उत्पाद की राष्ट्रीयता) या उसके उद्भव को निर्धारित करने के लिए आवश्यक मानदंड** हैं।
  - यह निम्नलिखित में सहायक होता है:
    - वाणिज्यिक नीति के **उपायों (measures) और साधनों (instruments),** जैसे– डंपिंग रोधी प्रशुल्क एवं रक्षोपायों को लागू करना।
    - इससे यह निर्धारित करने में सहायता मिलती है कि क्या आयातित उत्पादों को **मोस्ट फेवर्ड नेशन (MFN) से आयातित उत्पाद के रूप में स्वीकार** किया जाएगा अथवा उनका अधिमान्य दरों के अधीन प्रबंधन किया जाएगा।
  - उल्लेखनीय है कि WTO के नियमों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित **वस्तुओं के उद्भव देश के निर्धारण को शासित करने** के बारे में कोई उपबंध नहीं हैं।

अन्य सुर्खियाँ

सुर्खियों में रहे चर्चित स्थल (Places in News)	○ **काला सागर:** ➢ **तुर्की** ने **काला सागर** में 320 बिलियन क्यूबिक मीटर की क्षमता से युक्त एक प्राकृतिक गैस के भंडार की खोज की है, जो इस क्षेत्र में ऊर्जा व्यापार की भू–राजनीति (geopolitics) को परिवर्तित कर सकता है। ➢ **काला सागर,** पूर्वी यूरोप और पश्चिमी एशिया के मध्य स्थित है। इसे **युक्ज़ाइन सागर (Euxine Sea)** के नाम से भी जाना जाता है। ➢ यह **बोस्पोरुस जलडमरूमध्य (Bosporus Strait)** और आगे **मर्मारा सागर (Sea of Marmara)** एवं **डारडेनेल्स जलडमरूमध्य (Dardanelles Strait)** के माध्यम से भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ है। ➢ काला सागर के साथ सीमा साझा करने वाले देश हैं: **रोमानिया, तुर्की, बुल्गारिया, यूक्रेन, रूस और जॉर्जिया।** ○ **बेलारूस:** ➢ बेलारूस में **नव लोकतांत्रिक नेतृत्व और आर्थिक सुधारों की मांग** को लेकर विपक्ष द्वारा सरकार विरोधी एक व्यापक आंदोलन संचालित किया जा रहा है। ➢ यह **पूर्वी यूरोप** में स्थित एक **भू–आबद्ध (landlocked)** देश है। इसके पूर्व में रूस, दक्षिण में यूक्रेन तथा उत्तर एवं पश्चिम में यूरोपीय संघ और नाटो के सदस्य लातविया, लिथुआनिया व पोलैंड जैसे देश अवस्थित हैं।
श्रीशैलम बांध (Srisailam dam)	○ श्रीशैलम बांध **कृष्णा नदी** पर स्थित है। यह नदी श्रीशैलम से पुलिचिंतला तक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मध्य सीमा के रूप में कार्य करती है। ○ इसका निर्माण **नल्लामाला पहाड़ियों** की एक **गहरी खाई (deep gorge)** में किया गया है। ○ यह बांध **देश की दूसरी सबसे बड़ी जलविद्युत परियोजना** का स्थल भी है। ○ हाल ही में, श्रीशैलम बांध के बाएं किनारे पर **भूमिगत जलविद्युत स्टेशन (underground hydroelectric power station)** में लगी आग ने **बांध के रखरखाव और संरचनात्मक मजबूती** के विषय में चिंताएं उत्पन्न की है।
ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम {Trade Receivables Discounting System (TReDS)}	○ सरकार ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को **TReDS पोर्टल पर** अपने **विक्रेता नेटवर्कों की अनिवार्य ऑनबोर्डिंग (समेकन)** को पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। ○ TReDS, एक **इलेक्ट्रॉनिक बिल बट्टाकरण (डिस्काउंटिंग) प्लेटफॉर्म** है। यह (TReDS) कई फाइनेंसरों के जरिए कॉर्पोरेट खरीददारों द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) के ट्रेड रिसीवेबल्स के वित्तपोषण की सुविधा हेतु एक संस्थागत प्रक्रिया है। ○ यह **RBI द्वारा विनियमित** होता है। यह MSMEs को बिना देरी के उनके भुगतान (रिसीवेबल्स) को प्राप्त करने सक्षम बनाता है।
प्रश्न काल (Question Hour)	○ सरकार आगामी सत्र में **प्रश्न काल को समाप्त करने पर विचार कर रही है,** ताकि कार्यावधि के दौरान संसद का निर्बाध कार्य संचालन सुनिश्चित किया जा सके। ○ यह प्रत्येक **संसदीय बैठक का प्रथम एक घंटा** होता है, जिसमें संसद सदस्यों द्वारा सरकार से विभिन्न मामलों पर प्रश्न किए जाते हैं। ○ प्रश्न काल के दौरान, **संसद सदस्य विभिन्न नीतिगत मामलों और निर्णयों पर मंत्रियों से प्रश्न कर** सकते हैं। ○ यह सरकार को उसकी नीतियों और कार्यों के लिए उत्तरदायी ठहराने की एक व्यवस्था है।
ओपन API (एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस) सेवा {Open API (application programme interface) Service}	○ यह आरोग्य सेतु ऐप में **एक नई विशेषता** है, जो संगठनों को **डेटा गोपनीयता का उल्लंघन किए बिना उनके कर्मचारियों या किसी अन्य उपयोगकर्ता की स्वास्थ्य स्थिति** प्राप्त करने में सक्षम बनाएगी। ➢ यह आरोग्य सेतु **उपयोगकर्ता की सहमति** से ही **उसका नाम और उसकी स्वास्थ्य स्थिति** को साझा करेगी। ○ आरोग्य सेतु, उपयोगकर्ता के **स्थान (Location) को ट्रैक करने के लिए एक संपर्क ट्रेसिंग ऐप (contact tracing app)** है, जो यह सुनिश्चित करता है कि उपयोगकर्ता कोविड–19 से पीड़ित किसी व्यक्ति के शारीरिक रूप से संपर्क में आया था या नहीं। साथ ही, इससे उनके **संक्रमण के जोखिम का आकलन** भी किया जाता है।
नुआखाई जुहार (Nuakhai Juhar)	○ यह मौसम की नई **फसल का स्वागत करने के लिए कृषि से संबंधित एक त्यौहार** है। ○ इसे नुआखाई परब या नुआखाई भेटघाट भी कहा जाता है। यह **ओडिशा, छत्तीसगढ़ और इनके पड़ोसी राज्यों** के कुछ क्षेत्रों में मनाया जाता है। ○ नुआखाई **दो शब्दों का एक संयोजन** है, जो नव चावल के सेवन का संकेत देता है, अर्थात् 'नुआ' का अर्थ है नया और 'खाई ' से तात्पर्य है खाना।
ज़ार बोम्बा परमाणु परीक्षण (Tsar Bomba nuke test)	○ हाल ही में, रूस ने इस परीक्षण का **पूर्ववर्ती गोपनीय डॉक्यूमेंटरी वीडियो** जारी किया है। ○ आधिकारिक तौर पर **RDS-220** और बाद में **ज़ार बोम्बा** उपनाम का यह बम **अब तक का सबसे बड़ा परमाणु हथियार** था। ○ इसकी क्षमता 50 मेगाटन (50 मिलियन टन) है, जो हिरोशिमा पर गिराये गए बम से लगभग 3,800 गुना अधिक शक्तिशाली था। इस बम का 30 अक्टूबर 1961 को **नोवाया ज़म्लिया (आर्कटिक महासागर में एक द्वीप)** में परीक्षण किया गया था।

8468022022, 9019066066
www.visionias.in
दिल्ली लखनऊ जयपुर हैदराबाद पुणे अहमदाबाद चंडीगढ़
/c/VisionIASDelhi /Vision_IAS /visionias_upsc /VisionIAS_UPSC